उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-29/2026/569 के-2 /22-3-25-17(103)/2015

लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधाकर प्रसाद शुक्ल (बन्दी संख्या-291/19) पुत्र श्री रामसूरत शुक्ल, निवासी नेवादा, थाना-जेठवारा, जनपद-प्रतापगढ़, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-08/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर के दण्डादेश दिनांक 16.08.1984 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 07.04.2000 द्वारा दोषमुक्त किया गया, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08-05-2009 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को यथावत रखा गया, की दिनांक 21.06.2023 तक 10 वर्ष, 07 माह, 25 दिन की अपरिहार तथा 12 वर्ष, 05 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगे जाने, आयु 78 वर्ष, 10 माह, 10 दिन होने, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।

3- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।